



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2015/कार्तिक 14, 1937

No. 686]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2015/KARTIKA 14, 1937

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 838(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) संशोधन आदेश, 2015 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के पैरा 2 में खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(झक) "द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस रबड़ होज़" से बर्नर के साथ गैस सिलैण्डर को जोड़ने के लिए प्रयुक्त ऐसी लचीली नलिका अभिप्रेत है, जिस पर संपूर्ण सिलैण्डर दबाव का प्रभाव नहीं होता है;'

3. उक्त आदेश के पैरा 4 के उपपैरा (1) के खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ड) अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट से भिन्न सिलैण्डर, दाब रेगुलेटर, गैस सिलैण्डर वाल्व और द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस रबड़ होज़ का उपयोग नहीं करेगा।"

4. उक्त आदेश के पैरा 13 के उपपैरा (1) के खंड (ग) में, "दाब रेगुलेटर" शब्दों के स्थान पर, "दाब रेगुलेटर, द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस रबड़ होज़" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त आदेश की अनुसूची 2 के टिप्पण में, बिंदु 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3. द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस रबड़ होज़ विनिर्देश 2 आई.एस. 9573 प्रकार के अनुरूप होगा।"

6. उक्त आदेश की अनुसूची 3 में खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(घ) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस रबड़ होज़ विनिर्देश 2 आई.एस. : 9573 प्रकार के अनुरूप होगा।"

[सं. पी-25011/8/2011-विपणन-द्र.पै.गै. (भाग)]

आशुतोष जिन्दल संयुक्त, सचिव

टिप्पण : द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 487(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. सा.का.नि. 177(अ), तारीख 6 मार्च, 2002, सा.का.नि. 730(अ), तारीख 22 नवंबर, 2007, सा.का.नि. 655(अ), तारीख 10 सितंबर, 2009, सा.का.नि. 452(अ), तारीख 26 मई, 2010, सा.का.नि. 718(अ), तारीख 26 सितंबर, 2011, सा.का.नि. 647(अ), तारीख 22 अगस्त, 2012, सा.का.नि. 791(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2012, सा.का.नि. 781(अ), तारीख 18 दिसंबर, 2013 और सा.का.नि. 721(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 4th November, 2015

G.S.R. 838(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, namely:—

1. (1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2015.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 2, after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(ia) "LPG rubber hose" means the flexible tubing used for connecting the gas cylinder with burner which is not subjected to full cylinder pressure;’
3. In the said Order, in paragraph 4, in sub-paragraph (1), for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

“(e) use cylinder, pressure regulator, gas cylinder valve and LPG rubber hose other than those specified in Schedule II and Schedule III”.
4. In the said Order, in paragraph 13 in sub-paragraph (1), in clause (c), for the words “pressure regulators”, the words “pressure regulators, LPG rubber hose” shall be substituted.
5. In the said Order, in Schedule II, in the note, after point 2, the following shall be inserted, namely:-

- “3. LPG rubber hose should conform to the extant IS 9573 Type II specifications.”
6. In the said Order, in Schedule III, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

“(d) LPG rubber hose should conform to the extant IS:9573 Type II specifications.”

[No. P-25011/8/2011/Mkt-LPG (Pt)]

ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy.

Note:—The Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 487 (E), dated the 26th April, 2000 and was subsequently amended vide notification numbers G.S.R. 177(E), dated 6th March, 2002; G.S.R. 730(E), dated 22nd November, 2007; G.S.R. 655(E), dated 10th September, 2009; G.S.R. 452(E), dated 26th May, 2010; G.S.R. 718(E), dated 26th September, 2011; G.S.R. 647(E), dated 22nd August, 2012; G.S.R. 791(E), dated 25th October, 2012; G.S.R. 781(E), dated 18th December, 2013; and G.S.R. 721(E), dated 14th October, 2014.